बिहार के जमाबंदी रैयतों के डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

1. http://parimarjan.bihar.gov.in वेबसाइट पर **अपना आवेदन पोस्ट करें** लिंक पर क्लिक करें.
2. अपना व्यक्तिगत विवरण, यथा – नाम, ई-मेल का पता, मोबाइल नम्बर, इत्यादि – भर कर Send OTP बटन पर क्लिक करें.
3. दिए गए मोबाइल नम्बर पर प्राप्त OTP को भर कर Verify OTP बटन पर क्लिक करें. तत्पश्चात **पत्राचार** का पता भरें.
4. **भू-विवरणी** खंड में आप जमाबंदी (जिससे संबंधित शिकायत दर्ज करानी है) का विवरण भरें.
5. **परिवाद का विवरण** खंड में आप संबंधित शिकायत के विषय को चुनें.
6. शिकायत के विषय से संबंधित विहित प्रपत्र में आप अपनी जमाबंदी का सही विवरण भरें तथा सुझाए गए आवश्यक कागज़ातों में से उपलब्ध दस्तावेज को एकत्रित कर उनको स्कैन करते हुए एक **PDF** फाइल का निर्माण करें. इस **PDF** फाइल को Choose Document बटन की मदद से **अपलोड** करें.
7. सभी सूचनाओं को भरने के उपरांत आप Submit बटन पर क्लिक करें.
8. आपकी शिकायत दर्ज हो जायेगी तथा आपको एक Acknowledgement Number प्राप्त होगा. **कृपया इसे लिख कर अपने पास रख लें.** बाद में आवेदन की स्थिति जानने हेतु इसी नम्बर का प्रयोग Track Your Application में किया जायेगा.